न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/74/2017	06–09–2017	11–11–2019

1– कालू पुत्र लटूर जाति बलाई
2– रामकरण पुत्र कालू जाति बलाई
3– मुखराम पुत्र दयाल जाति बलाई
4– शिम्भूदयाल पुत्र कालू जाति बलाई निवासीयान ग्राम सूरजनपुर तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1– गणपत पुत्र ग्यारसा जाति धानका निवासी बीस का बास तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।

–रेस्पाडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार थानागाजी का निर्णय दिनांक 10.04.2017

उपस्थितः–

01. श्री महेश चंद शर्मा –वकील अपीलान्ट्स
02. श्री के. के. शर्मा –वकील रैस्पॉडेन्ट

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार थानागाजी के आदेश दिनांक 10.04.2017 जिसके द्वारा अपीलान्ट को आराजी मुतनाजा से बेदखल करने व अर्थ दण्ड से दण्डित करने से, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। वकील अपीलान्ट के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार थानागाजी द्वारा दिनांक 10.04.2017 को जो निर्णय पारित किया गया है उसकी जानकारी मिन अपीलांट को नहीं थी। चूंकि उक्त निर्णय मिन अपीलांट के पीछे से बाला–बाला पारित किया है। उक्त प्रकरण में मिन अपीलांट ने पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्त कर रखा था। जिन्होंने मिन अपीलांट को आश्वासन दिया हुआ था कि तुम्हें हर तारीख पेशी पर आने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आवश्यकता होगी तुम्हें बुलवा लेंगे। काफी समय तक मिन अपीलांट को सूचना नहीं मिली। जिस पर मिन अपीलांट द्वारा दिनांक 22.07.2017 को वकील साहब से सम्पर्क किया तो वकील साहब ने पत्रावली देखकर बताया कि उक्त प्रकरण अपीलांट के विरूद्ध निर्णित कर दिया गया है। मिन अपीलांट ने दिनांक 22.07.2017 को नकल का आवेदन किया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

नकल प्राप्त कर बिना देरी के अपील पेश की गई है। धारा 5 मियाद अधिनियम प्रा0पत्र अलग से पेश है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रैस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अंतर्गत धारा 183बी आरटीएक्ट के तहत प्रा0पत्र पेश किया कि प्रार्थी अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। प्रार्थी गरीब परिवार का व्यक्ति है। जो जीयो और जीने दो में पूरी आस्था रखता है। अप्रार्थी झगडालू और बेईमान किस्म के व्यक्ति है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 85/0.51 है0 वाके ग्राम सुरजनपुर तहसील थानागाजी में स्थित है जो प्रार्थी की कब्जेकाश्त की आराजी है। उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण ने जबरन कब्जा करने लगे तो प्रार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के न्यायालय में गणपत बनाम कालू के नाम से दावा कर पाबंद कराया गया। परन्तु अप्रार्थीगण स्थगन से पाबंद होने के बावजूद भी प्रार्थी की उक्त आराजी के समस्त रकबे पर दिनांक 08.07.2014 को एक कमरा, बरामदा तथा बाउन्ड्री बना रहे है। मिन अपीलांट द्वारा कब्जा हटाने व रैस्पो0 को कब्जा दिलाने की प्रार्थना की। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मिन अपीलांट को बिना समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए। मिन अपीलांट की एकतरफा कर दिनांक 10.04.2017 को रैस्पो0 का प्रा0पत्र स्वीकार कर मिन अपीलांट के विरूद्ध निर्णय पारित किया है। चूंकि मिन अपीलांट खसरा नम्बर 84/1.27 है0 तथा विवादित आराजी आपस में लगती हुई है। मिन अपीलांटान द्वारा विवादित आराजी पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं किया हुआ है। अपीलांटान द्वारा जो निर्माण किया हुआ है वो काफी पुराना है, जो अपीलांट के द्वारा अपनी खातेदारी काश्तकारी आराजी खसरा नं. 84 पर कर रखा है। जो मौका रिपोर्ट तैयार की हुई है वह मिन अपीलांटान के पीछे से तैयार की हुई है। जबकि मिन अपीलांट द्वारा विवादित आराजी पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं किया गया है। रेस्पो0 उक्त प्रा0पत्र की आड़ में मिन अपीलांट की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी पर कब्जा करना चाहता है। मिन अपीलांटान द्वारा विवादित आराजी पर एक इंच भी कोई कब्जा नहीं कर रखा है। अतः अपील अपीलांटान स्वीकार फरमायी जाकर तहसीलदार थानागाजी का निर्णय दिनांक 10.04.2017 निरस्त फरमाया जावे।

वकील रैस्पॉडेन्ट द्वारा अपनी-बहस में निवेदन किया कि रैस्पो0 की आराजी पर अपीलांटान द्वारा कब्जा कर रखा है। अपीलांटान द्वारा दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रा0पत्र पेश किया गया है कि उक्त निर्णय का अपीलांटान को मालूम नहीं था। अपील पेश करने में हुई देरी का कोई कारण नहीं बताया हैं। अपीलांटान द्वारा धारा 183बी आरटीएक्ट की कार्यवाही को रोकने का प्रयास किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा कार्यवाही नहीं की गई है। प्रकरण में अपीलांटान व रैस्पो0 अलग–अलग जाति के पक्षकार है। अपील मियाद बाहर पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 10.04.2017 में कोई त्रुटि नहीं की गई है। अतः अपील अपीलांटान् खारिज फरमायी जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 84 रकबा 1.27 है0 अपीलांट की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है तथा खसरा नम्बर 85 रकबा 0.51 है0 रैस्पो0 की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है। राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 08.04.2017 के लिए जारी किये गये नोटिस व अपीलांट द्वारा पेश की गई अपील का अवलोकन किया गया। नोटिस में तामीली रिपोर्ट पर अपीलांट नं. 2 रामकरण पुत्र कालू बलाई हस्ताक्षर के रूप में लिखा हुआ है तथा अपीलांट द्वारा पेश की गई अपील में रामकरण पुत्र कालू बलाई का अंगूठा निशानी है। इससे स्पष्ट जाहिर है कि उक्त लोक अदालत के लिए

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय) अलवर (राज.)

जारी किये गये नोटिस की जानकारी अपीलांट को नहीं थी तथा तहसीलदार थानागाजी द्वारा एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है। अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार थानागाजी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील लेख भंडार हो।

निर्णय आज दिनांक 11–11–2019 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)